

क्रमांक	आज्ञापन	दिनांक
---------	---------	--------

16-3-21

पत्रावली पेश। प्रकरण में रजिस्ट्रार की कार्रवाई
इस हेतु अपीलान्त शेष रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार को
आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो।
अपील वत सीमावर्ती निस्तारण किया जा सके
पत्रावली वास्तु तलबी रिकार्ड दिनांक 3.6.21 को
पेश हों।

(Signature)

3.6.21

DUE TO LOCKDOWN FILE PUT
ON DATE AT 16.9.21
READER

16.8.21

पत्रावली पेश। अपीलान्त/रजिस्ट्रार के अधिवक्ता ने
जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश
के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण
में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया
जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो
चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण
न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह
अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील
अपीलान्त प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय
सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल
दफतर हो।

(Signature)

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिवक्ता
सीकर